

**Date: 12th September, 2022**

BSE Limited,  
Floor – 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai –400 001

**Scrip Code: 505729**

**Sub: Intimation of Notice given to the Shareholders whose Dividend and Shares are liable to be transferred to The Investor Education and Protection Fund.**

Dear Sir/ Madam,

Intimation of Notice given to the shareholders whose dividend along with shares are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (“IEPF”) . Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the Company has published notice in the newspapers intimating the equity shareholders who have not claimed dividend for a period of seven (7) consecutive years and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Account, asking the concerned to take appropriate action on or before November 12, 2022. The scan copies of the notice published in ‘Indian Express’ (English newspaper) and ‘Jansatta’ (Hindi newspaper) on September 11, 2022, is enclosed herewith for your reference.

We request you to take the above on record and that the same be treated as compliance under the applicable regulations.

Thanking you,

**For Singer India Limited**

**Priyanka** Digitally signed by  
Priyanka Gandhi  
Date: 2022.09.12  
14:41:42 +05'30'  
**Gandhi**

(Priyanka Gandhi)  
Company Secretary  
Encl: As above

**SINGER INDIA LIMITED**

Registered & Head Office : A-26/4, 2<sup>nd</sup> Floor, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi-110044

Tel. : +91-11-40617777 Fax : +91-11-40617799 Toll Free No. 1800-103-3474

E-mail : mail@singerindia.net Website : www.singerindia.net

CIN : L52109DL1977PLC025405



draft of Rs. 500/- for General and Rs.250/- for B.C (A) and S.C candidates respectively in favour of **Principal, Tika Ram Girls College Sonapat** within 21 days of publication of this advertisement i.e. upto 01/10/2022 Email of college is [principaltrgc@gmail.com](mailto:principaltrgc@gmail.com).  
One copy of the application along with attested testimonials be sent to D.C.D.C, M.D.University Rohtak.  
No consideration for postal delay.

**Surinder Singh Dahiya, President**  
**Tika Ram Education Society Sonapat**

### SINGER INDIA LIMITED

(CIN: L52109DL1977PLC025405)

Regd. Office & Head Office: A-26/4, 2nd Floor, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi-110044

Tel: +91-11-40617777, Toll Free No. 1800-103-3474

E-mail: [secretarial@singerindia.net](mailto:secretarial@singerindia.net), [mail@singerindia.net](mailto:mail@singerindia.net) Website: [www.singerindia.net](http://www.singerindia.net)

#### NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Account, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 7, 2016 and amendments made, thereunder.

Pursuant to the Rules, Equity Shares of the Company, in respect of which dividend has remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more, are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Account established by the Central Government, after completion of seven years.

The Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the said Demat Account for taking appropriate action(s).

The detail of such shareholders, unclaimed dividend and shares liable for transfer to IEPF Account is available on Company's website i.e. [www.singerindia.net](http://www.singerindia.net) for information and necessary action by the shareholders.

Concerned shareholder(s) may immediately visit our website to verify the details of the unclaimed/unpaid dividend and the shares liable to be transferred to IEPF and approach the Company at the co-ordinates indicated below with necessary documents supporting their dividend claim. Failing receipt of communication by November 12, 2022, the Company will proceed to transfer the dividend and/or shares, by the due dates specified by the Rules or such further extended date as may be applicable, for necessary compliance. In this connection, please note that:-

i. For shares held in physical form: New share certificate(s) will be issued and transferred subsequently to the Demat account of the IEPF Authority without any further notice. Further, upon issue of such new share certificate(s) the original share certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled and deemed to be bad delivery.

ii. For shares held in electronic mode: The shares will be directly transferred to the Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without any further notice.

The members may further note that the details made available by the Company on its website shall be deemed as adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for transfer of shares to IEPF. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Authority pursuant to the said Rules.

The Unclaimed dividend amount and the shares transferred to IEPF, may be claimed by the concerned shareholder from the IEPF Authority by following the procedure prescribed under the aforementioned IEPF Rules.

For any queries on the subject matter, you may contact Secretarial Department at A-26/4, 2nd Floor, Mohan Cooperative Industrial Estate New Delhi - 110044, Phone: 011-40617777; Email: [secretarial@singerindia.net](mailto:secretarial@singerindia.net)

By Order of the Board  
For Singer India Limited  
Sd/-

**Priyanka Gandhi**  
Company Secretary

Place: New Delhi  
Dated: 11.09.2022

Sr. No.	Sector, Urban Estate	Category and size in mtrs	Area in Sq. Mtr.
7	88, Faridabad	Institutional No.15	1711.7
8	18, Gurugram	Institutional Plot 76-H	3180.
9	32, Gurugram	Institutional Plot No 8	8380.
10	32, Gurugram	Institutional Plot No 72	2167.3
11	43, Gurugram-II	Institutional Site	6191.3
12	45, Gurugram-II	Institutional Site	15580.
13	44, Gurugram-II	Institutional Plot 1 B	929.2
14	44, Gurugram-II	Institutional Plot 28 A	1735.0
15	44, Gurugram-II	167	9860.1
16	44, Gurugram-II	160	5769.1
17	Sector-53, Gurugram (Pocket-8)	Institutional No.A	1633.7
18	Sector-53, Gurugram (Pocket-8)	Institutional No.B	4031.1
19	56, Gurugram-II	Institutional Site	9024.4

#### List Of Hospital Sites

Sr. No.	Sector, Urban Estate	Category and size in mtrs	Area in Sq. Mtr.
1	9, Gurugram-I	Hospital Site	32376.00
2	37-C, Gurugram-I	Hospital Site	7539.56
3	55, Gurugram-II	Hospital Site (Opposite Shopping Centre)	6070.50
4	56, Gurugram-II	Hospital Site (Opposite Shopping Centre)	9024.81
5	29, Gurugram-II	Hospital Site No.1	17604.45
6	80, Faridabad	Hospital Site	8862.00
7	2, Faridabad	Hospital Site No. 1	4000.00
8	62, Faridabad	Hospital Site-III	10798.12
9	16-17, Hisar	Hospital Site No.1	6865.64
10	16-17, Hisar	Hospital Site No.3	39873.54

#### List Of School Sites In All Zones

Sr. No.	Sector, Urban Estate	Category and size in mtrs	Area in Sq. Mtr.
1	37 C, Gurgaon	High School	8215.1
2	45, Gurgaon	High School	8457.93



Chief Administrator  
**Haryana Sheh**  
C-3, HSVP Complex, Sector E  
[hsvphry.org.in](http://hsvphry.org.in) 1300-

**ल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

नव :प्लॉट 15, 6वीं मंजिल, सेक्टर-44, इस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002,  
 1 : दुकान नं. एस9, प्रथम तल, लाजपत नगर, जीटी रोड, पीएनबी बैंक से आगे, पानीपत-132103

**अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना**

या पुनर्निर्माण एवं (प्रतिभूति) हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम के साथ उपयोग में वर्तमान में इण्डिया शेल्टर फाइनेंस एण्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार तथा हितों के भीतर यहाँ आगे उल्लिखित खाते के सम्मुख लिखित तिथि पर राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए एक मॉग के पुनर्भुगतान में असफल रहे अतः एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर सौकेतिक कब्जा कर लिया जा सकेगा/यों के साथ कोई संव्यवहार करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

प्राति/बंधक सम्पत्ति का विवरण लिखित से निर्मित सम्पत्ति का समस्त भाग)	मॉग सूचना की तिथि, मॉग सूचना की तिथि तक बकाया राशि मॉग सूचना	सौकेतिक कब्जा की तिथि
गाय क्षेत्रफल 100 वर्ग गज (27x33.6) अर्थात् माल 03 मरला 03 सरसाई जो 15 कनाल-14 के 100/9498 हिस्सा का सम्पूर्ण भाग, खेत नं. संक नं. 31, किला नं. 12/2(3-2), 19/1 19/2 (5-7) 20 (6-12)। सोमा-1 पूर्व-मलिकान, पश्चिम-दीगर मलिकान, उत्तर- गली, दीगर मलिकान	13/06/2022 रु. 1008095.76/- (रुपये दस लाख आठ हजार पचासवें मात्र) 09/06/2022 तक बकाया तथा 10.06.2022 से ब्याज एवं अन्य प्रभार तथा भुगतान की तिथि तक लागत	07/09/2022

इण्डिया शेल्टर कॉर्पोरेशन फाइनेंस लिमिटेड (अधिकृत प्राधिकारी)

के लिए कृपया संपर्क करें : श्री विनय गांधी (+917988605030)

**गुमशुदा व्यक्ति की तलाश**



**मौहम्मद जीशन** 06.09.2022 से थाना विजय विहार, दिल्ली के क्षेत्र से लापता है। इस संदर्भ में डीडी सं. 53-ए दिनांक 07.09.2022 थाना विजय विहार, दिल्ली में दर्ज है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस गुमशुदा व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो निम्नलिखित को सूचित करने की कृपा करें:-

ई-मेल: [cic@cbi.gov.in](mailto:cic@cbi.gov.in) थानाध्यक्ष : थाना विजय विहार, दिल्ली;  
 वेबसाइट: <http://cbi.nic.in> दूरभाष सं. : 011-27521294,  
 फ़ैक्स: 24368639, दूरभाष सं. : 011-27521295  
 दूरभाष: 24368638/24368641

DP/828/RD/22

**सिंगर इंडिया लिमिटेड**

(CIN: L52109DL1977PLC025405)

पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालय: ए-26/4, द्वितीय तल, मोहन कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110044

टेली: +91-11-40617777, टोल फ्री नं. 1800-103-3474

ई-मेल: [secretarial@singerindia.net](mailto:secretarial@singerindia.net), [mail@singerindia.net](mailto:mail@singerindia.net), वेबसाइट: [www.singerindia.net](http://www.singerindia.net)

**शेयरधारकों को सूचना**

7 सितम्बर, 2016 से प्रभावी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 ("नियमावली") तथा उससे अंतर्गत किये गये संशोधनों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्वारा सूचना दी जाती है।

नियमों के अनुसरण में, कंपनी के इक्विटी शेयर जिनके संबंध में लामांश निरंतर सात वर्षों या उससे अधिक समय से अदावाकृत या अप्रदत्त है, उन्हें सात वर्षों की समाप्ति के बाद केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि ("आईआईपीएफ") खाते में जमा किया जाना है।

कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके शेयर उचित कार्यवाही हेतु उक्त डीमैट खाते में अंतरण के लिए उत्तरदायी हैं।

ऐसे शेयरधारकों, आईआईपीएफ खाता में अंतरण के लिये नियत दावा-रहित लामांश तथा शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट [www.singerindia.net](http://www.singerindia.net) पर उनकी जानकारी तथा शेयरधारकों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिये उपलब्ध है।

संबंधित शेयरधारक आईआईपीएफ में अंतरण के लिए नियत दावा-रहित/अप्रदत्त लामांश तथा शेयरों के विवरण की जांच कर लें तथा उनकी लामांश का दावा का समर्थन करने वाली आवश्यक दस्तावेजों के साथ नीचे दर्शाये गये पते पर कंपनी से सम्पर्क करें। 12 नवम्बर, 2022 तक प्रत्युत्तर नहीं मिलने पर कंपनी नियमावली द्वारा निर्दिष्ट नियत तिथि अथवा आवश्यक अनुपालन के लिए लागू होने वाली विस्तारित तिथि तक कंपनी लामांश एवं/अथवा शेयरों के अंतरण की कार्यवाही करेगी। इस संदर्भ में कृपया ध्यान रहे कि:-

- भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के लिए: नए शेयर प्रमाणपत्र(नों) जारी किए जाएंगे तथा बिना कोई आगे सूचना के आईआईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में उसे अंतरित किया जाएगा। पुनः ऐसे नवीन शेयर प्रमाणपत्र(नों) के निर्गम पर आपके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा उसे गलत डेलिवरी माना जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से धारित शेयरों के लिए: उनके शेयर आगे बिना किसी सूचना के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की मदद से आईआईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में प्रत्यक्ष रूप से अंतरित किया जाएगा।

सदस्यगण पुनः ध्यान रखें कि उसकी वेबसाइट पर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणों को आईआईपीएफ में शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी द्वारा डुल्लीकैट शेयर प्रमाणपत्र(नों) को जारी करने के लिए पर्याप्त सूचना माना जाएगा। कृपया नोट करें कि कथित नियमों के अनुसार आईआईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित अदावाकृत लामांश राशि एवं शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जा सकता।

संबंधित शेयरधारक ऊपर वर्णित आईआईपीएफ नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर आईआईपीएफ प्राधिकरण से आईआईपीएफ में अंतरित दावा-रहित लामांश राशि तथा शेयरों का दावा कर सकते हैं।

उक्त विषय पर किसी प्रकार की पूछताछ के लिए आप सचिवीय विभाग से ए-26/4, द्वितीय तल, मोहन कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110044 फोन: 011-40617777; ईमेल: [secretarial@singerindia.net](mailto:secretarial@singerindia.net) पर सम्पर्क करें।

बोर्ड के आदेशानुसार  
 कृपे सिंगर इंडिया लिमिटेड  
 हस्ता/-  
 प्रियंका गांधी  
 कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली  
 दिनांक: 11.09.2022

भंगेल शाखा : काठ्या पैलेस, मालापुर, मेन रोड दादरी, भंगेल नोएडा,  
 (गौतमबुद्ध नगर) 3090-201304,  
 मो. : 7849084863 ईमेल : [bhange@bankofbaroda.com](mailto:bhange@bankofbaroda.com)

**तिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत**

पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का 16.6.2022 जारी कर ऋणधारक श्री अजय कुमार, पुत्र श्री शिव कुमार को उक्त सूचना की प्राप्ति 06.06.2022 तक रु. 7,36,200/- जिसमें आगे का ब्याज तथा अन्य खर्च शामिल हैं, वापस लौटाने

, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 8 सितम्बर, 2022 को ली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी 0/- तथा आगे का ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक अन्य खर्च के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज के

विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

में इंडब्ल्यूएस फ्लैट 491, भूतल, जीडीए फ्लैट्स, न्याय खंड-II, इन्दिरापुरम, राजियाबाद, उ.प्र.

493 एवं 494  
 ट नं. 490

(श्री सुनील चर्मा), प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

भंगेल शाखा : काठ्या पैलेस, मालापुर, मेन रोड दादरी, भंगेल नोएडा,  
 (गौतमबुद्ध नगर) 3090-201304,  
 मो. : 7849084863 ईमेल : [bhange@bankofbaroda.com](mailto:bhange@bankofbaroda.com)

**तिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत**

पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ भूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तिथि 8.6.2022 जारी कर ऋणधारक श्री विश्राम सिंह, पुत्र श्री हबली प्रसाद तथा श्रीमती उर्मिला देवी, ति तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 06.06.2022 तक रु. 9,72,635.13 जिसमें आगे ने का निर्देश था।

हे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 8 सितम्बर, 2022 यमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें ने यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का समें 6.6.2022 तक तथा आगे का ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक अन्य खर्च के लिये बैंक ऑफ

मोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

में मकान सं.-543, ब्लॉक-ए, सेक्टर-03, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, माप

(श्री सुनील चर्मा) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा